उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 19/2026/124/आठ-1-26-1782549 लखनऊ कानपुर मेट्रो लोन
लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो परियोजना हेतु यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से प्राप्त वाह्य ऋणों के भुगतान विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-74/2025/768/001-1782549 लखनऊ कानपुर मेट्रो लोन, दिनांक 09.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लखनऊ एवं कानपुर मेट्रो परियोजना हेतु यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से प्राप्त वाह्य ऋणों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित धनराशि रू0 492.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित तालिकानुसार उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को निर्गत किया गया था:-

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	धनराशि की मांग (मूलधन + ब्याज)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना	73.45+35.57=109.02	109.02
2	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना	0.0+36.59=36.59	36.59
		कुल योग	145.61

2- तत्क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पत्र संख्या- UPMRC/Finance/EIB Laon Repayment/Vol-I/5140 दिनांक 04-12.2025 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि यू0पी0 एम0आर0सी0 द्वारा भारत सरकार के खाते में धनराशि जमा न होने के फलस्वरूप मानक संचालन प्रक्रिया के क्रम संख्या-5 में उल्लिखित शर्तों के क्रम में भारत सरकार द्वारा ई0आई0बी0 को प्रथम एवं द्वितीय तिमाही हेतु भुगतान की गयी कुल धनराशि रू0 254.62 करोड़ का समायोजन MoHUA भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया है। उक्त समायोजन राज्य सरकार, भारत सरकार तथा उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन (MoU) के Clause No. 12.18 (Lucknow Metro) and Clause No. 12.27 (Kanpur & Agra Metro) के अनुरूप है। निदेशक (वित्त) उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पत्र संख्या- UPMRC/Finance/EIB Laon Repayment/Vol-I/4629 , दिनांक 10.10.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार से समायोजित कर लेने के आलोक में शासनादेश संख्या-74/2025/768/001-1782549 लखनऊ कानपुर मेट्रो लोन, दिनांक 09.10.2025 द्वारा निर्गत धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

3- अतः एतदद्वारा शासनादेश संख्या-74/2025/768/001-1782549 लखनऊ कानपुर मेट्रो लोन, दिनांक 09.10.2025 को निरस्त किया जाता है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव

संख्या-19/2026/124(1)/आठ-1-26-1782549 लखनऊ कानपुर मेट्रो लोन, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 एवं 2 ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव।